

प्रेषक,

संख्या-४९/२०१६/आर-१०/२६-३-२०१६-४(३१)/२०१५

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र०लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक-१६ मार्च २०१६

विषय: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति नियमावली-२०१६ को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-५१३/स.क./शिक्षा-अ/पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/२०१५-१६, दिनांक-१९.०५.२०१५ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पूर्वदशम् (कक्षा-९ व १०) के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना को सुचारू रूप से कियान्वित किये जाने हेतु मामंत्रि-परिषद द्वारा “उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति नियमावली-२०१६” को अनुमोदित किया गया है।

३- अतएव ‘उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति नियमावली-२०१६’ की अनुमोदित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियमावली के प्राविधानानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा नियमावली की प्रतियां समस्त जिलाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुये समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय

१६.३.१६
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

प्र०सं०४९/२०१६/आर-१० (१)/२६-३-२०१६ तददिनांक-

प्रेतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- २- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०शासन।
- ३- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- ४- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- ५- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- ६- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० उ०प्र०।
- ७- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।

आज्ञा से

।
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसंचिव

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016

1	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016 कहलायेगी।
2	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 एवं 10 की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब माता-पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है।
3	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थारी/मूल निवासी हों तथा प्रदेश के बाहर के छात्र-छात्राएं जो UPTO में अध्ययनरत हैं वह भी इस योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2016 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5	परिमाण	
(i)	केन्द्र सरकार	‘केन्द्र सरकार’ का तात्पर्य भारत सरकार से है।
(ii)	राज्य सरकार	‘राज्य सरकार’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
(iii)	निदेशालय	‘निदेशालय’ का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।
(iv)	निदेशक	‘निदेशक’ का तात्पर्य निदेशक समाज कल्याण निदेशालय से है।
(v)	अभ्यर्थी	“अभ्यर्थी” का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कक्षा 9 या 10 में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।
(vi)	शिक्षण संस्था	“शिक्षण संस्था” का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है।
(vii)	अनुसूचित जाति	‘अनुसूचित जाति’ का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-341 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।
(viii)	अनुसूचित जनजाति	‘अनुसूचित जनजाति’ का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।
(ix)	बैंक	‘बैंक’ का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो तथा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल में पंजीकृत

		हो।
(x) शैक्षणिक सत्र		शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक के शिक्षण सत्र से है।
(xi) छात्रवृत्ति का मूल्य		<p>सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होंगी:-</p> <p>(क) ₹0 150/- प्रतिमाह, अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जायेगा।</p> <p>(ख) वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में ₹0 750/- देय होगी।</p>
(xii) अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण		किसी भी जनपद में संचालित राजकीय संस्थानों, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों, तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा व मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
6	अर्हता	छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे :-
	(i)	उ0प्र0 राज्य के अन्यर्थी के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं जो किसी राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हों।
	(ii)	ऐसे अन्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।
	(iii)	एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
	(iv)	इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि छात्र राज्य संरक्षक से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(v)	जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित हैं, तब तक माता—पिता/अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता—पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता—पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रमाणित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय—सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।	
(vi)	ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके माता—पिता जीवित नहीं हैं, जिन्हें किसी संस्था या संग्रान्त व्यक्ति द्वारा अपनी संरक्षता में शिक्षा प्रदान करने हेतु एडाप्ट कर लिया गया है, वे योजनान्तर्गत पात्र होंगे तथा उनके संदर्भ में संस्था, प्रबन्धन या संग्रान्त व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।	
7	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	तहसील स्तर से जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाये।
8	माता—पिता/ अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य –	<p>माता—पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :–</p>
(i)	अम्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।	
(ii)	अम्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को “आय” में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।	
(iii)	आय प्रमाण—पत्र केवल एक बार अर्थात् कक्षा 9 में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् कक्षा 10 में पुनः आय—प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि कक्षा 10 में किसी अन्य विद्यालय में पूर्व विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के उपरांत नया प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण—पत्र देना होगा।	
9	मास्टर डाटाबेस व शिक्षण संस्थाओं का कोर्स मास्टर में पंजीकरण—	<p>(i) प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं अन्य प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को स्वयं शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा— शिक्षण संस्थान का नाम, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की तिथि और वैधता सीमा, वर्गवार सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या, आदि निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन भरकर “मास्टर डाटाबेस” में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक</p>

	समिलित होना होगा। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाली शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे ।
(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता 31 मार्च तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 31 मार्च के पश्चात मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटा बेस में समिलित होना होगा तथा उनके छात्रों के आगामी वित्तीय वर्ष के शैक्षिक सत्र से ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।
(iii)	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों एवं उसमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी०) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं आनलाइन निर्धारित तिथि तक भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।
(iv)	जनपद में संचालित बैंक, बैंक शाखाओं तथा उनके आई०एफ०एस० कोड का शुद्ध विवरण नास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक समिलित किया जायेगा। बैंक, बैंक शाखाओं के शुद्ध नाम व उनके शुद्ध IFS कोड को PFMS के बैंक मास्टर के अनुसार मास्टर डाटाबेस में शामिल कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
(v)	मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत अपने डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर बेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। तदोपरांत शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को एवं बैंक मास्टर को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजीटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।
10	<p>छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण</p> <p>(i) छात्रवृत्ति हेतु अहं छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की घनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।</p> <p>(ii) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की घनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरांत नये छात्रों को छात्रवृत्ति की घनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अन्तर्थीकरण बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :—</p> <p>(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।</p> <p>(ख) शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।</p> <p>(ग) निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।</p>

	(iii) उपरोक्त वरीयता कम के अन्दर पात्र छात्र/छात्राओं की आन्तरिक वरीयता निम्नलिखित कम में तैयार की जायेगी:-
	1-छात्रों के द्वारा विगत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर अवरोही कम में राज्य को एक इकाई मानते हुए वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
	2-समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर छात्र/छात्राओं की आयु को वरीयता दी जायेगी जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्राओं को सबसे पहले दिया जायेगा। तत्पश्चात् छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुए कम (अवरोही कम)में वितरण किया जायेगा।
	3-इसके पश्चात भी यदि कई अभ्यर्थी की प्राप्तांक प्रतिशत एवं आयु एक समान होती हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक कम में (A to Z) छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा।
	4-छात्र/छात्राओं की प्राप्तांक प्रतिशत, आयु एवं अल्फाबेटिक कम एक समान होने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन फार्म भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।
	(iv) सर्वप्रथम कक्षा-9 में वितरित की गयी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का कक्षा 10 में निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार छात्रवृत्ति नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पश्चात अवशेष धनराशि ही कक्षा 9 के नये अभ्यर्थियों को उपरोक्त वरीयता कम में वितरित की जायेगी।
	(v) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी।
	(vi) भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
11	छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया
	(i) इस योजना में अहं छात्रों को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा संशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का मुग्तान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS साफ्टवेयर के माध्यम से अथवा जनपद स्थित कोषागार से ई-पेमेन्ट के माध्यम से जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी, तदनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार मुग्तान की जायेगी।
	(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु नये पात्र छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-क पर एवं नवीनीकरण के छात्रों को परिशिष्ट-ख पर इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विगत वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को केवल नवीनीकरण हेतु आवेदन

	<p>करना होगा जिन्हें पुनः सम्पूर्ण विवरण भरने के स्थान पर छात्रवृत्ति हेतु कुछ नवीन/संशोधित सूचनाएं ही निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छात्र/छात्राओं को समस्त प्रविष्टियाँ आनलाइन सही-सही भरकर उसका प्रिन्टआउट लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख <u>परिशिष्ट-ग</u> के अनुसार संलग्न कर <u>परिशिष्ट-च</u> के अनुसार घोषणा पत्र के साथ शिक्षण संस्थान में निर्धारित अन्तिम तिथि के 07 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र <u>परिशिष्ट-घ</u> के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। आवेदन में सही-सही सूचनाएं भरने का उत्तरदायित्व दस्त्र का होगा।</p>								
(iii)	<p>अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों की संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1-संस्था के प्रधानाचार्य-</td> <td style="width: 50%;">अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक-</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक— सदस्य</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">अथवा</td> </tr> </table> <p>संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु०जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)</p>	1-संस्था के प्रधानाचार्य-	अध्यक्ष	2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक-	सदस्य	3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक— सदस्य		अथवा	
1-संस्था के प्रधानाचार्य-	अध्यक्ष								
2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक-	सदस्य								
3-संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक— सदस्य									
अथवा									
(iv)	<p>उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का ही होगा। छात्र द्वारा जना समस्त संलग्नकों सहित आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट को संस्थान द्वारा <u>परिशिष्ट -च</u> के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र/छात्राओं की संस्था द्वारा सनुचित कारण दर्शाते हुए छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी एवं अपने स्तर से 'रिजेक्ट' कर दिया जायेगा।</p>								
(v)	<p>शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा।</p>								

(vi)	<p>तदुपरांत निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित तिथि तक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों एवं आय प्रमाण—पत्र में अंकित धनराशि तथा आय प्रमाण—पत्र धारक के नाम आदि का मिलान बोर्ड आफ रेवन्यू उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से कराया जायेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण—पत्र में अंकित जाति एवं निवास प्रमाण—पत्र में अंकित निवास तथा उनके धारक के नाम का भी मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जायेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड के पंजीयन क्रमांक आदि का मिलान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से किया जाएगा। समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा में से 'डुप्लीकेट डाटा' की छटनी कराकर तथा अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।</p>												
(vii)	<p>जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पूर्वदशम छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1—जिलाधिकारी</td> <td style="width: 50%;">— अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2—मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी</td> <td>— उपाध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>3—मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी</td> <td>— सदस्य</td> </tr> <tr> <td>4—जिलां सूचना विज्ञान अधिकारी</td> <td>— तकनीकी सदस्य</td> </tr> <tr> <td>5—जिला विद्यालय निरीक्षक</td> <td>—सदस्य</td> </tr> <tr> <td>6—जिला समाज कल्याण अधिकारी</td> <td>—सदस्य सचिव</td> </tr> </table> <p>यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।</p>	1—जिलाधिकारी	— अध्यक्ष	2—मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी	— उपाध्यक्ष	3—मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	— सदस्य	4—जिलां सूचना विज्ञान अधिकारी	— तकनीकी सदस्य	5—जिला विद्यालय निरीक्षक	—सदस्य	6—जिला समाज कल्याण अधिकारी	—सदस्य सचिव
1—जिलाधिकारी	— अध्यक्ष												
2—मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी	— उपाध्यक्ष												
3—मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	— सदस्य												
4—जिलां सूचना विज्ञान अधिकारी	— तकनीकी सदस्य												
5—जिला विद्यालय निरीक्षक	—सदस्य												
6—जिला समाज कल्याण अधिकारी	—सदस्य सचिव												
(viii)	<p>प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।</p>												
(ix)	<p>जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापित एवं अग्रसारित शिक्षण संस्थानों वाले छात्रों के डाटा की तथा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से परीक्षणोपरान्त प्राप्त छात्रों के विवरण की सूची हार्डकापी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी—</p>												
	<p>1— जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति से संबंधित डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं अग्रसारित करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा निर्धारित तिथि तक पी0एफ0एम0एस0 साप्टवेयर पर बैंकों से 'बेनीफिशरी' खाता धारकों के नाम से मिलान हेतु अपलोड कराया जायेगा। साथ ही साथ निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के सहयोग से सम्बन्धित शिक्षा परिषदों एवं बोर्ड आफ रेवन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान</p>												

एवं डुप्लीकेट डाटा की छटनी व परीक्षण कराया जायेगा। तदोपरान्त परीक्षण में संदेहास्पद पाये गये तथा पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से रिजेक्ट किये गये डाटा को बैनीफिशरीज के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित कराया जायेगा तथा साथ ही पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा को भी बैनीशिफरीज के बैंक नाम के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति उपरोक्त स्वीकृत डाटा में से 05 प्रतिशत डाटा की रेष्टम चेकिंग विशेष टीम के माध्यम से करा कर जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा में से बैनीफिशरीज के नाम का बैंक खाते में अंकित नाम से मिलान न होने की दशा में सम्बन्धित छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अस्वीकृत करा कर आनलाइन रिजेक्ट किया जायेगा। संदेहास्पद डाटा में से शुद्ध पाये गये डाटा को भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अस्वीकृत करा कर आनलाइन सत्यापित एवं डिजिटल सिर्नेचर से लॉक किया जायेगा। पी0एफ0एम0एस0 से स्वीकृत डाटा में से बैनीफिशरीज एवं बैंक खाते में अंकित नाम मैच करने वाले छात्रों तथा अन्य दूसरे कारणों से अपात्र या निरस्त न होने वाले छात्रों की सूची जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अस्वीकृत प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिर्नेचर से सत्यापित एवं लॉक किया जायेगा।

2- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उल्लिखित सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त कर उक्त प्रोफार्मा को स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किये जाने तथा उक्त के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आनलाइन संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के अनुसार निदेशालय द्वारा एन0आई0सी0 (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित आनलाइन साफ्टवेयर से मांग जनरेट करायी जायेगी।

3- इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में स्थिर राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई-पेनेन्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी योजना का होगा।

4- निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बैनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बैनीफिशरी फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बैनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की बैंकसाइट पर फीड करके ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्थानात्तरित हो जायेगी। PFMS सर्वर से ट्रांजेक्शन फाइल के स्वीकृत होने के उपरान्त वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अपने लॉगइन आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन फाइल में ट्रेजरी टोकन के सापेक्ष अंकित बैनीफिशरी छात्रों की संख्या व धनराशि का सत्यापन कर अनुमोदित करेंगे जिसके पश्चात संबंधित ट्रांजेक्शन फाइल ट्रेजरी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगी। निदेशालय के नोडल

		अधिकारी (योजना) / वित्त नियन्त्रक द्वारा ट्रांजेक्शन फाइल आनलाइन अनुमोदित कराने के उपरान्त, मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा पी०एफ०एम०एस० सर्वर पर उपलब्ध उक्त अनुमोदित ट्रांजेक्शन फाइल को आनलाइन अनुमोदित किया जायेगा। कोषगार से ट्रांजेक्शन फाइल के अनुमोदित करने के पश्चात छात्रवृत्ति की घनराशि का अन्तरण सीधे छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में हो जायेगा।
		5— जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्त नुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अस्थर्थियों को घनराशि का अन्तरण किया जायेगा।
		6—जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अहं छात्र के विगत वर्ष के आवेदन—पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न प्रमाण—पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना—पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होता है तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति सहित संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक समाज कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा।
		7—जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अस्थर्थी को छात्रवृत्ति की घनराशि का अन्तरण होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी की होगी।
(x)		अस्थर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति की घनराशि उसके बचत खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषगार से ई—पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति की घनराशि का भुगतानु प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में घनराशि अन्तरण में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
(xi)		छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषगार से ई—पेमेण्ट के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से घनराशि स्थानान्तरण हेतु निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित होगा। निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की घनराशि अन्तरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
(xii)		एन०आई०सी० (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से बैनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषगार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति / कोषगार/पीएफएमएस सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने

		का विकल्प उपलब्ध होगा।
	(xiii)	उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है।
	(xiv)	वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर बेनीफिशरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी। उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर फीड कराने, बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक का होगा।
	(xv)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आईडी० एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर सकेंगे।
12	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ के स्तर पर स्कूटनी के बिन्दु-	<p>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) लखनऊ के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण स्तर से जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण कम से कम निम्नलिखित बिन्दुओं पर कराया जायेगा:-</p> <p>1— छात्रवृत्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमांक, वर्ष एवं बोर्ड एवं अंक पत्र धारक के नाम का मिलान उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्डों की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।</p> <p>2— छात्र/छात्राओं के आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र जारी करने का सत्यापन एवं उसमें अंकित विवरण यथा—आय की धनराशि, प्रमाण—पत्र धारक का नाम, जाति, निवास आदि राजस्व परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से कराया जायेगा।</p> <p>3— छात्र/छात्राओं के विवरण में से राज्य स्तर पर डुप्लीकेट, सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा को अलग—अलग कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>4— छात्र/छात्राओं के बोर्ड पंजीयन के क्रमांक का मिलान संबंधित शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा अथवा बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से ए०आई०सी० को उपलब्ध करायी गयी डाटा से कराया जायेगा।</p>
13	मुग्तान व्यवस्था	<p>(i)</p> <p>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं को आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ही आनलाइन भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् वेबसाइट लॉक कर दी जायेगी जिसमें प्रविष्टि सम्बन्धी नहीं होगी।</p>

	(ii)	निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफटवेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफटवेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को निदेशालय स्तर से लॉक कर दी जायेगी।
	(iii)	उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता कम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट(e-payment) प्रक्रिया के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी का होगा। PFMS (Public Financial Management System), बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम् 01 माह के अन्दर वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी समाज कल्याण निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियंत्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
14	छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण	
	(i)	छात्र/छात्रा को कक्षा 9 में दी गयी छात्रवृत्ति कक्षा 10 में भी देय होगी, बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 में नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि छात्र कक्षा 9 से उत्तीर्ण होकर कक्षा 10 में अध्ययनरत हो। छात्रवृत्ति अधिकतम् 10 माह के लिए देय होगी।
	(ii)	यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।

	(iii)	छात्रवृत्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है, अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे- हड्डताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।
15	अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।	<p>पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षणसंस्थानों, अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/ प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थानों को “काली सूची” में दर्ज कराने व शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>1- मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर।</p> <p>2- शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अध्ययनरत न पाये जाने पर।</p> <p>3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।</p> <p>4- शिक्षण संस्थान/विद्यालय द्वारा नवीनीकरण हेतु अह छात्रों में से जिनका आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनका कारण सहित ऑनलाईन सत्यापन न करने की दशा में</p> <p>5- छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>6-छात्र/छात्रा द्वारा झूटा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर।</p> <p>7- छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अमिलेखों में कूटरचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर।</p> <p>8- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर।</p> <p>9- जिला मजिस्ट्रेट/निंदेशालय/शासन के द्वारा जांच में गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर।</p>
16	छात्र/छात्राओं के उत्तरदायित्व-	
	(i) सामान्य जानकारी हासिल करना-	

	<p>सर्वप्रथम छात्र/छात्रा वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिये गये प्रारूप को प्रिंट कर लें।</p>
	<p>1- प्रिंट किये गये फार्म पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर लें ताकि ऑनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे।</p>
	<p>2- ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अंकित की जानी हैं।</p>
	<p>3- प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करेक्टर यथा—#, \$, %, ^, &, *, (), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।</p>
	<p>4- कक्षा 9 के छात्रों को नया आवेदन पत्र एवं कक्षा 10 के छात्रों को नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरना होगा। कक्षा 10 में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों को नया आवेदन पत्र भरना होगा।</p>
(ii)	<u>ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना—</u>
	<p>1- प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।</p>
	<p>2- रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।</p>
	<p>3- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का विकल्प होगा।</p>
	<p>4- रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिंट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें।</p>
(iii)	<u>ऑनलाइन आवेदन करना—</u>
	<p>1- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।</p>
	<p>2- जिसके लिये निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।</p>
	<p>3- इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियाँ सही होने पर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।</p>
	<p>4- इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वतः प्रदर्शित होंगी। जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा</p>

	वांछित कॉलम में सूचनायें सही-सही भरी जाय।
	5— जिस कॉलम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कॉलम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।
	6— छात्र/छात्रा आवेदन फार्म में अपने नाम के बैंक खाते का ही विवरण भरेगा जो उसके माता/पिता/अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त नाना जायेगा।
	7— इस प्रकार आवेदन ने समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरांत Submit बटन पर क्लिक करें, इसके उपरांत अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिन्ट आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करें। प्रिंट किये गये आवेदन को भली भांति जांच लें, यदि समस्त प्रविष्टि सही हैं तो पुनः होम पेज पर अपने ‘फोटो अपलोड करें’ पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।
	8— इतके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
	9— फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।
o	10- Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।
	11— पूर्वदर्शम छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से नरे गये फार्म नाच्य नहीं होंगे। अन्यर्था द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।
	12— कक्षा 10 के छात्रों को कक्षा 9 का अंकपत्र स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।
	(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना—
	इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें एवं इस प्रिंट आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेण्ट जैसे— आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां

		संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने के 01 सप्ताह के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
	(v)	आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना—
		1— संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहः एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
		2— निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये “आवेदन की स्थिति जानें” को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
	(vi)	छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना—
		छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:-
		1— आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने पर।
		2— शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर।
		3— छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।
		4— बैंक खाते में धनराशि प्रेषण करने पर।
17		शैक्षिक संस्थानों के उत्तरदायित्व –
	(i)	शिक्षण संस्था को छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिए एक नोडल अधिकारी भागित करना होगा।
	(ii)	शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी से सम्बन्धित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर अपडेट करना होगा।
	(iii)	शिक्षण संस्था को वेबसाइट पर मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विवरण को अपडेट कराना होगा।
	(iv)	शिक्षण संस्था को जिला समाज कल्याण अधिकारी से लागिन आईडी० एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
	(v)	पात्र छात्र/छात्रा के द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ जमा किया गया है।

	(vi)	संस्थान केवल उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
	(vii)	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ <u>परिशिष्ट-ग</u> के अनुसार संलग्नक नथी किए गये हैं, चेक कर लें।
	(viii)	आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा। उसी प्राप्ति रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी हस्ताक्षर कर अपनी संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को रसीद दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उसे संस्थान द्वारा (✓) किया जायेगा।
	(ix)	शिक्षण संस्था को अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।
	(x)	संस्थान उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के पश्चात छात्र/छात्रा के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
	(xi)	अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रेषित करने के बाद 07 दिन के अन्दर संस्थान में ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट जमा किया जायेगा।
	(xii)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 07 दिन के अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा करना होगा। तत्पश्चात 07 दिन के अन्दर ही प्रत्येक दशा में शिक्षण संस्थान को अभ्यर्थियों का डाटा सत्यापित करना होगा।
	(xiii)	ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों का मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे, जितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जॉच/मिलान करते रहेंगे।
	(xiv)	शिक्षण संस्थान छात्र-छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की होर्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छायाप्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा— नाम, खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।
	(xv)	अभ्यर्थियों के ऑनलाइन भरे गये फार्म की प्रविष्टियों का मिलान करने के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कर Submit का बटन क्लिक करेंगे तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को अग्रसारित (Forward) कर देंगे।
	(xvi)	जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा, उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लॉगइन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अग्रसारित या रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में डाटा लम्बित नहीं

		रखा जायेगा।
	(xvii)	संस्थान द्वारा आवेदन पत्र सत्यापित होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी।
	(xviii)	शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी पात्र छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिए गये हैं।
	(xix)	सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा फार्म भरने हेतु नियत की गयी अन्तिम तिथि की जानाकारी संस्थान द्वारा दी जायेगी। सभी कक्षाओं में उपलब्ध संचार माध्यमों यथा—Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल के माध्यम से अवगत करेंगे।
	(xx)	योजना की सम्पूर्ण जानकारी, सभी आदेश—निर्देश वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसकी भी जानकारी सभी छात्रों को देंगे।
	(xxi)	डाटा के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिए संस्थान प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सत्यापन करते रहेंगे एवं समस्त आवेदन पत्रों को अन्तिम तिथि से पूर्व अग्रसारित करने अथवा रिजेक्ट करने का निर्णय लेकर ऑनलाइन कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे।
	(xxii)	छात्र/छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
	(xxiii)	नोडल अधिकारी या शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र के विवरण को स्वयं आनलाइन सत्यापित व अग्रसारित किया जायेगा।
	(xxiv)	जिन अभ्यर्थियों के विवरण का मिलान संस्था के अभिलेखों/अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गये अभिलेखों से नहीं होता है अथवा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, उनकी संस्तुति नहीं की जायेगी अपितु रिजेक्ट कर दिया जायेगा।
	(xxv)	नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों, जिनका आवेदन—पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, के आवेदन न करने के कारणों को अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
	(xxvi)	शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं का डाटा ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट समस्त संलग्नकों सहित, परिशिष्ट—‘च’ के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
18	जिला समाज कल्याण अधिकारियों के उत्तरदायित्व—	
	(i)	शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रेषित सूची तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी को



		समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करना।
	(ii)	यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का डाटा निर्धारित अवधि के अन्दर उनको प्राप्त हो गया है।
	(iii)	शिक्षाधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण सत्यापित तथा डिजीटली लाक कर दिया गया है।
	(iv)	अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व कराना।
	(v)	अभ्यर्थियों के नाम के बैंक खातों एवं बैंक शाखाओं के आईफॉरेसॉड (IFSC) का रेण्डमली मिलान ऑनलाइन डाटा सत्यापन से पूर्व कराना।
	(vi)	अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की हार्डकापी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
	(vii)	सक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर अभ्यर्थियों के डाटा को ऑनलाइन सत्यापित एवं लाक करना।
	(viii)	ऑनलाइन डाटा फीडिंग की मानीटरिंग हेतु आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षाधिकारी तथा शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा का अग्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्ड कापी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों की बैठक में बुलाकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
	(ix)	छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना तथा स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।
	(x)	बैंक खाते में धनेराशि के अन्तरण का reconciliation कराना। यह कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाय।
	(xi)	जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत करना।
	(xii)	उक्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त भेजने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
19	जनपदीय शिक्षा अधिकारियों के उत्तरदायित्व—	
	(i)	ऑनलाइन डाटा अग्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में आयोजित बैठकों में शिक्षण

		संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना।
	(ii)	शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/ छात्राओं की वास्तविक संख्या आदि का सत्यापन कर डिजीटल सिग्नेचर से लाक किया जाना।
	(iii)	शिक्षण संस्था द्वारा स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापित किये गये छात्रों का माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण डाटा से शत-प्रतिशत मिलान न होने की दशा में उक्त शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करना तथा मान्यता निरस्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करना।
	(iv)	शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
20	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई)का उत्तरदायित्व-	
	(i)	शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार आनलाइन साफ्टवेयर तैयार कराना।
	(ii)	शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आईडी० तथा पासवर्ड उपलब्ध कराना।
	(iii)	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आईडी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।
	(iv)	जिला समाज कल्याण अधिकारियों एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को लागिन आईडी०, पासवर्ड एवं डिजीटल सिग्नेचर एन०आई०सी० या अन्य संस्था के माध्यम से उपलब्ध करवाना।
	(v)	आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर नवीनीकरण हेतु अह छात्रों के सापेक्ष मिसिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित करना
	(vi)	राज्य स्तर पर स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना
	(vii)	आनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशि अन्तरण तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना।

21	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उत्तरदायित्व-	
	(i)	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आवश्यक जांचोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना।
	(ii)	छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अनुमोदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित विवरण का रेन्डम आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा से मिलान करा लेना।
	(iii)	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के डाटा को आनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से लाक कराना जिस पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित तिथि तक मॉग सृजित की जायेगी।
	(iv)	किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी गंभीरता से समयबद्ध जांच कराना तथा जांचोपरांत दोषी व्यक्तियों/संस्थाओं के विलद्ध प्रभावी कार्यवाही करना।
22	जनपद स्तर पर अनुश्रवण	
	(i)	छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-
	(1)	जिलाधिकारी अध्यक्ष
	(2)	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उपाध्यक्ष सदस्य
	(3)	जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि सदस्य
	(4)	जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य
	(5)	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) सदस्य
	(6)	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव
	(ii)	उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी तथा कक्षा 9 व 10 की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि कां सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपॉर्ट निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।
	(iii)	जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित

		करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।
	(IV)	छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम 05 प्रतिशत छात्र/छात्राओं में धनराशि वितरण का भौतिक सत्यापन/जांच सुनिश्चित कराया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रेण्डमली चयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई द्वारा छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली साफ्टवेयर में आवश्यक विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से जांच हेतु जिलाधिकारी छात्र/छात्राओं, शिक्षण संस्थानों की सूची रेण्डम विधि से जनरेट करेंगे तथा उक्त सूची में अंकित शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन करायेंगे और अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
	(V)	छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी दूसरी शिक्षण संस्था में भी पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है।
23	संशोधन का अधिकार	इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई के निवारण करने की शक्ति माझे मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।
24	न्यायालय क्षेत्राधिकार	किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार माझे उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ होगा।

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में उ0प्र0 में अध्ययनरत् कक्षा 9 व 10 के नवीन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1 जिला (जहाँ छात्र अध्ययनरत हो)
- 2 शिक्षण संस्थान
- 3 रजिस्ट्रेशन संख्या
- 4 धर्म :
- 5 वर्ग/जाति समूह :
- 6 छात्र/छात्रा का नाम :
- 7 छात्र/छात्रा का नाम (बैंक खाते की पासबुक के अनुसार) :
- 8 पिता का नाम :
- 9 माता का नाम :
- 10 लिंग (पु0/म0) :
- 11 जन्म तिथि :
- 12 कक्षा-8 उत्तीर्ण करने का वर्ष :
- 13 कक्षा-8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम :
- 14 गत वर्ष का परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) :
- 15 गत वर्ष के परीक्षा का पूर्णांक :
- 16 गत वर्ष के परीक्षा का प्राप्तांक :
- 17 मोबाइल नं0 :
- 18 ई-मेल पता :
- 19 स्थाई पता :
- 20 छात्र/छात्रा के परिवार की सभी स्त्री और भूतों से वार्षिक आय (रु0 में) :
- 21 आय प्रमाणपत्र का क्रमांक :
- 22 आय प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक :
- 23 आय प्रमाण पत्र धारक का नाम :
- 24 जाति प्रमाण पत्र क्रमांक :
- 25 उपजाति :
- 26 जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक :
- 27 जाति प्रमाण पत्र धारक का नाम :
- 28 छात्र/छात्रा का बैंक खाता सं0 :
- 29 बैंक का नाम :

- 30 ब्रांच का नाम
 31 आई०एफ०एस० कोड
 32 अध्ययनरत कक्षा का नाम
 33 अध्ययनरत कक्षा में प्रवेश की तिथि
 34 शिक्षा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक (यदि उपलब्ध है)
 35 शिक्षा बोर्ड का नाम
 36 छात्र का आधार नंबर

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे माता पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रु० दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूँगा।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो जिलाधिकारी राजस्व देयों की भाँति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगे एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर दिनांक.....

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक).....

नोट-(1) पात्र अभ्यर्थी को उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं आनलाइन भरना होगा। आनलाइन भरे गये फार्म के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर शपथ पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(2) किसी भी नियम की जानकारी छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.nic.in अथवा विभाग की वेबसाइट <http://swd.up.nic.in> पर अपलोडेड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदर्शम छात्रवृत्ति नियमावली-2015 से की जा सकती है।

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में उ0प्र0 में अध्ययनरत् कक्षा 9 व 10 के नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

1	छात्र/छात्रा के विगत वर्ष की छात्रवृत्ति की रजिस्ट्रेशन संख्या	:
2	गत वर्ष का परीक्षाफल (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)	:
3	गत वर्ष के परीक्षा का पूर्णांक	:
4	गत वर्ष के परीक्षा का प्राप्तांक	:
5	वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि	:
6	छात्र का आधार नंबर	:

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियाँ/सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे माता पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रु0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूँगा।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो जिलाधिकारी राजस्व देयों की भाँति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगे एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर दिनांक.....

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिमावक)

नोट-(1) पात्र अभ्यर्थी को उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं आनलाइन भरना होगा। आनलाइन भरे गये फार्म के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर शपथ पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(2) किसी भी नियम की जानकारी छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.nic.in अथवा विभाग की वेबसाइट <http://swd.up.nic.in> पर अपलोडेड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति नियमावली-2015 से की जा सकती है।



पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु छात्रों द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट कापी।
2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
3. जाति प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
4. पिछली कक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित प्रतियां।
5. छात्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक ने खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति जिस पर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFS कोड अंकित हो।
6. आधार कार्ड
7. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक का इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है तथा उनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

नोट— आवेदन पत्र पर आवेदक के स्कैन फोटो को शिक्षण संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन क्रमांक.....

पूर्वदशम छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र जमा करने पर प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती / कु0 पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

निवासी.....
 से पूर्वदशम छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की मूल / स्व-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया।

(शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक अंकित किया जाय)

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फ़िडेड आवेदन पत्र की प्रिन्ट कापी।
2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
3. जाति प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)।
4. पिछली कक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. छात्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति जिसपर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFS कोड अंकित हो।
6. आधार कार्ड
7. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक का इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है।

(प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्था के अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम—.....

पदनाम.....

दिनांक—.....



स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/श्री

..... उम्र वर्ष व्यवसाय

..... निवासी प्रमाणित करते

हुये घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं, मेरे विरुद्ध भारिदिवि 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये, स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

स्थान आवेदक/आवेदिका के माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
दिनांक

(शैक्षिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण पत्र)

- 1— संस्थान की मान्यता का विवरण: (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 2— संस्थान की मान्यता की वैधता अवधि का विवरण : (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 3— सम्बन्धित वर्ग में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या—————
- 4— कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रों की संख्या—————
- 5— छात्र द्वारा ऑनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ जमा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के आधार पर उसके द्वारा ऑनलाइन की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता का मिलान कर लिया गया है और पूर्णतया संतुष्ट होने के पश्चात् उसके ऑनलाइन डाटा का सत्यापन कर दिया गया है। आवेदन पत्र की सूची, सत्यापन आख्या व समिति की संस्तुति आख्या संलग्न है।
- 6— मेरे संस्थान में अनुमोदित शुल्क, संस्थान की मान्यता एवं संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुमोदन की छाया प्रति सूची के साथ संलग्न है। सत्यापित डाटा में त्रुटि पाये जाने पर उसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- 7— संस्थान के प्रधानाचार्य की संस्तुति:
-

नोट:- संस्थाध्यक्ष द्वारा स्वयं उक्त आवेदन पत्र^{अग्रसारित किया जायेगा। किसी कार्यवाहक द्वारा अग्रसारित न किया जाय।}

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष
नाम—
मुहर—
दिनांक—